



2026:AHC-LKO:20553

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत वाद संख्या: 1243/2026

ऋचा बंसल एवं अन्य

...याचिकाकर्ता

बनाम

वरुण बंसल एवं 2 अन्य

... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: राधिका वर्मा

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता:

न्यायालय संख्या: 14

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. याचिकाकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता सुश्री राधिका वर्मा को सुना गया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।
2. पारित किए जा रहे आदेश के आलोक में, विपक्षीगण को नोटिस जारी करने की आवश्यकता समाप्त की जाती है।
3. यह याचिका आपराधिक मामला संख्या 4580/2025 (ऋचा बंसल एवं अन्य बनाम वरुण बंसल एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 31.01.2026 को रद्द करके खर्च की छूट हेतु दायर की गई है। इसके अतिरिक्त, आपराधिक मामला संख्या 4580/2025 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2026 को निरस्त करने की भी प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. याचिकाकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि याची संख्या 1 का विवाह प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ संपन्न हुआ था। चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा उसका उत्पीड़न किया जा रहा था, इसलिए उसने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन दायर किया, जिसे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 7, लखनऊ की अदालत में शिकायत संख्या 3205/2022 (श्रीमती ऋचा बंसल एवं अन्य बनाम वरुण बंसल एवं अन्य) के रूप में पंजीकृत किया गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 के तहत उक्त आवेदन को सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 18 सितंबर, 2024 के आदेश के माध्यम से आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। उक्त आदेश में प्रत्यर्थी संख्या 1 को याची संख्या 1 को ₹5,000 और याची संख्या 2 को ₹2,000 भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, अंकों में ₹5,000 की राशि को शब्दों में "चार हजार रुपये" लिखा गया है। साथ ही, इस न्यायालय द्वारा 'FAPLD संख्या 21/2025' में पारित आदेशों के तहत उच्च न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र में मध्यस्थता की कार्यवाही भी चल रही थी, लेकिन वह कार्यवाही सफल नहीं हो सकी। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि संबंधित न्यायालय द्वारा अंतरिम भरण-पोषण के लिए बहुत कम राशि तय की गई थी, इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 सितंबर, 2024 के विरुद्ध विलंब विलम्ब माफी आवेदन के साथ अपील दायर की गई थी।

याचिकाकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-7, लखनऊ ने विवादित आदेश दिनांक 31.01.2026 के माध्यम से विलंब माफी आवेदन स्वीकार करते हुए याची संख्या 1 पर ₹5,000 का खर्चा देने हेतु आदेशित कर दिया। इसमें आगे यह निर्देश दिया गया कि ₹4,000 प्रतिपक्षियों को दिए जाएं और ₹1,000 जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में जमा किए जाएं। यह आगे कहा गया कि याची संख्या 1

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

द्वारा मामले के स्थगन और लागत माफी के लिए दिया गया आवेदन दिनांक 07.03.2026 को स्वीकार तो किया गया, लेकिन ₹1,000 की अतिरिक्त लागत के साथ। इस न्यायालय के 'अनिल पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य' (आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 4988/2019) के फैसले पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के हस्तक्षेप की प्रार्थना की है।

5. याचिकाकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने और याचिका की विषय-वस्तु, विवादित आदेशों दिनांक 31.01.2026 और 07.03.2026 के साथ-साथ आदेश दिनांक 18.09.2024 और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0 7, लखनऊ ने अंतरिम भरण-पोषण के रूप में याची संख्या 1 को ₹5,000 और याची संख्या 2 को ₹2,000 देने का निर्देश दिया था। हालांकि, उक्त आदेश में शब्दों और अंकों में लिखी गई राशि में विसंगति है। यह भी स्पष्ट है कि मध्यस्थता की कार्यवाही विफल होने के बाद अपील दायर की गई थी। यह भी विदित है कि विलंब क्षमा आवेदन में देरी का कारण उचित रूप से स्पष्ट किया गया था और इसे स्वीकार भी किया गया, लेकिन ₹5,000 के खर्च के साथ। चूंकि अपील अंतरिम भरण-पोषण के आदेश के विरुद्ध थी, अपीलीय अदालत ने विलंब क्षमा आवेदन तय करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया।
6. तदनुसार, यह याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और आदेश दिनांक 31.01.2026 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि अपील दायर करने में देरी को क्षमा करने का आवेदन ₹2,000 की खर्च के साथ स्वीकार किया जाता है, जिसे जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में जमा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दिनांक 07.03.2026 के आदेश को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. अपीलीय अदालत को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार अपील की कार्यवाही को आगे बढ़ाए।

19 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।